न्यायालय :– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड (म0प्र0)

कमांक डी.1/स्टेनो/2024 **दिनांक 12.04.2024**

//कार्य विभाजन पत्रक//

मैं **कमलेश भरकुँदिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** भिण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता की **धारा 14(1), 15(2)** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये भिण्ड जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य पूर्व प्रसारित समस्त कार्य विभाजन आदेश को अधिष्ठित करते हुये **दिनांक 12.04.2024** से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ, जो **माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय** भिण्ड के पूर्व **अनुमोदन के अधीन** रहेगा :–

क0	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	क्षेत्र	कार्य का विभाजन
1	2	3	4
01.	**कमलेश भरकुँदिया,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड	संपूर्ण जिला **भिण्ड**	1. जिला परिवहन अधिकारी जिला भिण्ड द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 2. कारखाना अधिनियम 1948 3. न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 4. बाल श्रमिक (प्रतिषेध) विनियमन अधिनियम 1986 5. मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 6. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी(केन्द्रीय एवं राज्य के श्रम निरीक्षकों/प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत श्रम अधिनियम के आपराधिक प्रकरण), भारतीय मानक ब्यूरो, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम। 8. भिण्ड जिला क्षेत्र के मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत समस्त कार्यवाहियां।

			9. ईनामी चिट एवं धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 एवं ऐसे अन्य अधिनियम जिनमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को है। **10.** भिण्ड वृत्तांर्गत उद्भूत होने वाले वाइल्ड लाइफ से संबंधित समस्त प्रकरण **11.** मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वे प्रकरण जिनमें अर्थदण्ड की राशि जे.एम.एफ.सी. के अधिकार क्षेत्र की सीमा से अधिक हो। **12.** जिला भिण्ड के आरक्षी केंद्रो से उद्भूत निरसन प्रतिवेदन **(ई.आर.)**। **13.** मानव अधिकार अधिनियम के अंतर्गत परिवाद। **14.** म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 से संबधित (50 बल्क लीटर से अधिक) समस्त प्रकरण।
//तहसील भिण्ड//			**1.** तहसील भिण्ड वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। **2.** थाना यातायात जिला भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण। **3.** खाद्य एवं औषधि विभाग भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। **4.** नापतौल विभाग भिण्ड और नगर पालिका भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण। **5. आबकारी वृत** भिण्ड से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण। **6.** तहसील भिण्ड, अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले पराक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (राशि 50 लाख से अधिक) **7.** ऐसे अन्य अधिनियम जो उपरोक्त इवारत में वर्णित नहीं है तथा जिनमें विचारण का क्षेत्राधिकार केवल मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को है।

02.	**श्री चंद्रशेखर राठौर**, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	पुलिस थाना **उमरी और नयागॉव**	**1.** पुलिस थाना **उमरी, नयागॉव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदिका/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** पुलिस थाना **सिटी कोतवाली, देहात** और **फूप, लोकायुक्त** से संबंधित धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ **5.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **6.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।

			7. तहसील भिण्ड, अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (राशि 20 लाख एक रूपए से 50 लाख रूपए तक)
03.	**श्री पियूष भावे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, भिण्ड	पुलिस थाना **फूप** और **पावई**	**1.** पुलिस थाना **फूप** और **पावई** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदिका/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** जिला जेल भिण्ड में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) **5.** पुलिस थाना **नयागॉव, बरोही** और **अ.जा.क** से संबंधित धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ

			6. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **7.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के संक्षिप्त विचारण की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** तहसील भिण्ड, अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परकाम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (राशि 5 लाख एक रूपए से 20 लाख रूपए तक) **9.** जनपद पंचायत भिण्ड के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण।
04.	श्री **विवेक माल,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	पुलिस थाना **देहात, अटेर** और **सुरपुरा**	**1.** पुलिस थाना **देहात, अटेर** और **सुरपुरा** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के

			पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** पुलिस थाना **महिला थाना** और **उमरी** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं। **5.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **6.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के संक्षिप्त विचारण की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
05.	श्री **अभिजीत सिंह,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	पुलिस थाना **सिटी कोतवाली** और **बरोही**	**1.** पुलिस थाना **सिटी कोतवाली** और **बरोही** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.चसंशो. अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल

			महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** पुलिस थाना **अटेर, सुरपुरा** और **पावई** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं। **5.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **6.** तहसील भिण्ड व अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (2 लाख एक रूपए से 5 लाख रूपए तक) **6.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
06.	कु. **अनुभूति गुप्ता,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	**महिला पुलिस थाना** और **महिला संबंधी बोर्ड**	**1.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **2.** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय जिला मुख्यालय भिण्ड स्थित आरक्षी केंद्र **उमरी, पावई,**

			बरोही, **देहात** और **अ.जा.क.** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण एवं **महिला पुलिस थाना** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं <u>मानव तस्करी रोधी इकाई</u> से संबंधित प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **5.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
		पुलिस थाना **सिटी कोतवाली,**	**1.** भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **<u>354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376(1), 376(2), 376(क), 376(कख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घक),</u>**

		सुरपुरा, अटेर, फूप, नयागॉव, और **लोकायुक्त**	**376(घख), 376(ड) व धारा 509** के अपराध के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 1973 की धारा **164(5)(क)** के अधीन लिये जाने वाले कथन।
07.	सुश्री अनुराधा गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	**महिला संबंधी बोर्ड**	**1.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **2.** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय जिला मुख्यालय भिण्ड स्थित थाना **सिटी कोतवाली, सुरपुरा, अटेर, फूप** और **नयागॉव** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण। **3.** तहसील भिण्ड व अटेर में आने वाले सभी थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 से संबंधित प्रकरण (1 रूपए से 2 लाख रूपए तक)

		पुलिस थाना **उमरी, पावई, बरोही, देहात,** और **अ.जा.क.**	1. भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376(1), 376(2), 376(क), 376(कख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घक), 376(घख), 376(ड) व धारा 509** के अपराध के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 1973 की धारा **164(5)(क)** के अधीन लिये जाने वाले कथन।
08.	श्री **मनोज कुमार भाटी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार	पुलिस थाना **लहार, मिहौना** और **असवार**	**1.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **2.** पुलिस थाना **लहार, मिहौना** और **असवार** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो. अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** पुलिस थाना **रावतपुरा** और **रौन** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं।

			5. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **6.** उपजेल **लहार** में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) **7.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण। **8.** जनपद पंचायत लहार के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आपराधिक प्रकरण जो धारा 12 एवं 14 ग्राम न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची 1 में दर्शाये गये हैं, से संबंधित प्रकरण।
	<u>//तहसील लहार//</u>		**1.** तहसील लहार क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग लहार, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। **2.** लहार वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण । **3.** तहसील लहार वृत्तांतर्गत उद्भूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड लाइफ से संबंधित समस्त प्रकरण। **4.** पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित समस्त प्रकरण। **5.** आबकारी वृत्त लहार से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।

09.	श्रीमती **सारिका भाटी,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लहार जिला भिण्ड	**1.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **2.** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तहसील लहार स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354 ए, बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित अथवा फरियादी) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण।
	तहसील लहार स्थित **समस्त आरक्षी केंद्र**	**1.** भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376(1), 376(2), 376(क), 376(कख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घक), 376(घख), 376(ड) व धारा 509** के अपराध के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 1973 की धारा **164(5)(क)** के अधीन लिये जाने वाले कथन।

10.	श्री उत्कर्ष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	पुलिस थाना **रावतपुरा** और **आलमपुर**	1. पुलिस थाना **रावतपुरा** और **आलमपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। 2. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। 3. संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 दं.प्र.सं.) 4. पुलिस थाना **मिहोना, लहार** एवं **दबोह** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। 5. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण। 6. संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण।

11.	श्रीमती **आयुषी जैन** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	पुलिस थाना **रौन** और **दबोह**	**1.** पुलिस थाना **रौन** और **दबोह** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 दं.प्र.सं.) **4.** पुलिस थाना **आलमपुर** और **असवार** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉं। **5.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **6.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।

12.	श्री **श्रीकष्ण डागलिया** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद	पुलिस थाना **गोहद चौराहा, मौ** और **मालनपुर**	**1.** पुलिस थाना **गोहद चौराहा, मौ** एवं **मालनपुर** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** **उपजेल गोहद** में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) **5.** तहसील गोहद स्थित समस्त आरक्षी केंद्रो से उद्भूत **धारा 164 द0प्र0सं0** के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। **6.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण।

			7. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
		तहसील गोहद	**1.** गोहद वृत्तांतर्गत उदभूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड से संबंधित समस्त प्रकरण। **2.** तहसील गोहद के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। **3.** गोहद वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। **4.** परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित समस्त प्रकरण। **5.** आबकारी वृत्त गोहद से उद्भूत होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> से संबंधित समस्त प्रकरण।
13.	श्रीमती **विधि डागलिया,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद	पुलिस थाना **गोहद, एण्डोरी** एवं **महिला संबंधी बोर्ड**	**1.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **2.** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय <u>तहसील गोहद स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों</u> की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक

			व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेधं अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक /अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक, विविध प्रकरण एवं थाना **गोहद** और **एण्डोरी** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **5.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के संक्षिप्त विचारण की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
	तहसील **गोहद** स्थित **समस्त आरक्षी केंद्र**		**1.** भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376(1), 376(2), 376(क), 376(कख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घक), 376(घख), 376(ड) व धारा 509** के अपराध के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 1973 की धारा **164(5)(क)** के अधीन लिये जाने वाले कथन।

14	सुश्री **स्वाती सिंह बघेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **मेहगांव** एवं **अमायन**	**1.** पुलिस थाना **मेहगांव** एवं **अमायन** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** **उपजेल मेहगॉव** में निरूद्ध बंदियों की मृत्यु से संबंधित जांच प्रतवेदन अंतर्गत धारा (176 दंप्रसं) **5.** पुलिस थाना **गोरमी, भारौली** और **बरासों** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। **6.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण।

			7. संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
	<u>//तहसील मेहगांव//</u>		**1.** तहसील मेहगांव के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत खाद्य एवं औषधि विभाग, नगर पालिका अधिनियम एवं नापतौल अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। **2.** मेहगांव वृत्तांतर्गत उद्भूत भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त प्रकरण। **3.** तहसील मेहगांव वृत्तांतर्गत उदभूत होने वाले फॉरेस्ट एवं माईनिंग लॉ तथा वाइल्ड से संबंधित समस्त प्रकरण। **4.** परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 से संबंधित समस्त प्रकरण। **5.** आबकारी वृत्त मेहगॉव से उद्भूत होने वाले म. प्र. आबकारी अधिनियम के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित प्रकरण।
15.	श्रीमती **पूनम परिहार,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **बरासों** एवं **भारौली**	**1.** पुलिस थाना **बरासों** एवं **भारौली** की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम

			1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों को छोड़कर जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक/ अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरणों को छोड़कर) समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **2.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **3.** संबंधित थानों के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 द.प्र.स.) **4.** पुलिस थाना **मेहगॉव व अमायन** से संबंधित धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन एवं संस्वीकृतियॉ। **5.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **6.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के <u>संक्षिप्त विचारण</u> की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।
		तहसील **मेहगॉव** स्थित **समस्त आरक्षी केंद्र**	**1.** भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा **<u>354, 354(क), 354(ख), 354(ग), 354(घ), 376(1), 376(2), 376(क), 376(कख), 376(ख), 376(ग), 376(घ), 376(घक), 376(घख), 376(ड) व धारा 509</u>** के अपराध के संबंध में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 1973 की धारा **164(5)(क)** के अधीन लिये जाने वाले कथन।

16.	श्रीमती **प्रियंका कुशवाह** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	पुलिस थाना **गोरमी** तथा **महिला संबंधी बोर्ड**	**1.** माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा अंतरित किये गये प्रकरण। **2.** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तहसील मेहगॉव स्थित समस्त आरक्षी केंद्रों की सीमा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद एवं आवेदन पत्र, भा.द.वि. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए,बी,सी,डी व 354ए म.प्र.संशो.अधि., 366, 366ए,बी, 376ए से 376डी 493, 498, 498ए एवं 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधि. 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987, एवं ऐसे अन्य अपराधों, जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जा सकते हैं, (महिला पीड़ित/फरियादी अथवा अनावेदक /अभियोक्त्री) के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण एवं **थाना गोरमी** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं विविध प्रकरण। **3.** संबंधित थाने के खात्मा प्रतिवेदन एवं मर्ग जांच (176 दं.प्र.सं.) **4.** संबंधित थाना क्षेत्रों के एन.डी.पी.एस.एक्ट 1985 से संबंधित वह प्रकरण जो माननीय विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य नहीं है और धारा 52(ए)(क) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निराकरण। **5.** संबंधित आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 के संक्षिप्त विचारण की प्रकृति से संबंधित समस्त प्रकरण।

नोट :– कार्यविभाजन पत्रक माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड द्वारा **अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील** माना जावेगा।

01. जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील मुख्यालयों में न्यायालयों द्वारा पूर्व से जारी किये गये वारंटों/स्थायी वारंटों से संबंधित प्रकरणों एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा रिवीजन/अपील/याचिका आदि में पारित आदेशों का निराकरण संबंधित आरक्षी केंद्रों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जावेगा या उनके अनुपस्थित रहने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संचालन किया जावेगा।

02. चलित न्यायालय का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड द्वारा संपूर्ण भिण्ड जिले में किया जावेगा अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड में मोटरयान अधिनियम से संबंधित चलित न्यायालय का संचालन अपने–अपने थाना क्षेत्र में करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी मजिस्ट्रेट को अन्य थाना क्षेत्र में चलित न्यायालय का संचालन करने हेतु समय–समय पर अधिकृत कर सकेगा। इस स्थापना के अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चलित न्यायालय लगाने के पूर्व माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड की अनुमति लेकर तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड को लिखित सूचना देने के उपरांत ही लगा सकेंगे। यह भी सुनिश्चित रखें कि न्यायालयीन कार्य दिवसों में चलित न्यायालय के आयोजन की स्थिति में पूर्व से नियत कार्य प्रभावित न होवे।

03. धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान एवं संस्वीकृति अभिलिखित करने के लिये अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की स्थिति में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में की गई कार्य व्यवस्था **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कथन व संस्वीकृति अंकित की जावे।

04. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को निर्देशित किया जाता है कि दूरस्थ प्रदेश से या वह साक्षी जिनकी उपस्थिति बड़े विलम्ब से उपाप्त की गयी है उन साक्षियों के उपस्थित होने पर पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने या अवकाश पर रहने की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त साक्षी की साक्ष्य अभिलिखित की जा सकेगी।

05. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को निर्देशित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने या अवकाश पर रहने या स्थानांतरण की स्थिति में कार्य विभाजन पत्रक संलग्न **प्रारूप एक** के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट **अभियोग पत्र (चालान)** लेंगे एवं अन्य

आवश्यक कार्य संपादित करेंगे।

06. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हो तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का निराकरण कर सकेंगे, जो समरी प्रकिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारण्ट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोष के अभिवाक् करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख निराकरण पश्चात् मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वापस होगा।

07. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किये जाते समय अभिलेख के साथ संबंधित मामले की केस डायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

08. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चालान प्रस्तुत किये जाते समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

09. धारा 325 दंप्रसं के अंतर्गत प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजे जाने के साथ ही जप्तशुदा संपत्ति भी भेजी जावे।

10. वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

11. पराकम्य लिखत अधिनियम से संबंधित प्रकरण रिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा पूर्व से जारी किये गये वारंटों/स्थायी वारंटों से संबंधित प्रकरणों एवं उच्चतर न्यायालयों द्व ारा रिवीजन/अपील/याचिका आदि में पारित आदेशों का निराकरण जिला मुख्यालय पर वर्तमान में राशि से संबंधित क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

12. कार्यविभाजन पत्रक के साथ संलग्न **प्रारूप एक** में समस्त प्रभारी मजिस्ट्रेटगण की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

(कमलेश भरकुँदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड

अनुमोदित

15/12/24

Principal Dist. & Sessions Judge
Bhind (M.P.)

पृष्ठांकन क0 293 भिण्ड, दिनांक 12.04.2024

प्रतिलिपि :–

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला भिण्ड की ओर अनुमोदनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।

02. पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं भिण्ड जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु **ई–मेल के माध्यम** प्रेषित।

03. **समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट** प्रथम श्रेणी **मुख्यालय भिण्ड, लहार, गोहद** एवं **मेहगॉव** जिला भिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ **ई–मेल** के माध्यम से प्रेषित।

04. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर आदेश की प्रति जिला न्यायालय भिण्ड की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड किये जाने और **समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट** प्रथम श्रेणी मुख्यालय **भिण्ड, लहार, गोहद** एवं **मेहगॉव** को **ई–मेल** के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

05. एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला भिण्ड की ओर **ई–मेल** के माध्यम से सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06. अध्यक्ष अभिभाषक संघ भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगॉव की ओर **ई–मेल** के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित ।

07. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, भिण्ड की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(कमलेश भरकुँदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला भिण्ड

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण की अनुपस्थिति में कार्य व्यवस्था

प्रारूप– एक

दिनांक 12.04.2024

न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के अवकाश पर जाने अथवा कार्य पर अनुपस्थित रहने की दशा में उनके न्यायालय का कार्य प्रभार निम्नानुसार रहेगा:–

क	मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार	पंचम प्रभार
1	2	3	4	5	6	7
	जिला मुख्यालय भिण्ड					
1	श्री कमलेश भरकुँदिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री अभिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथग श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	कु. अनुभूति गुप्ता,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
2	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	कु. अनुभूति गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथग श्रेणी भिण्ड
3	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	कु. अनुाभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
4	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री अभिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	कु. अनुभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
5	श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	कु. अनुभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
6	कु. अनुभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड

7	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	कु. अनुभूति गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
तहसील मुख्यालय लहार						
8	श्री मनोज कुमार भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्रीमती सारिका भाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्रीमती आयुषी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री उत्कर्ष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पीयूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
9	श्रीमती सारिका भाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री मनोज कुमार भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री उत्कर्ष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्रीमती आयुषी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	कु. अनुभूति गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
10	श्रीमती आयुषी जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री उत्कर्ष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री मनोज कुमार भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्रीमती सारिका भाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
11	श्री उत्कर्ष जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्रीमती आयुषी जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्रीमती सारिका भाटी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री मनोज कुमार भाटी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लहार	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
तहसील मुख्यालय गोहद						
12	श्री श्रीकृष्ण डागलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद	श्रीमती विधि डागलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद	सुश्री स्वाती सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती पूनम परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
13	श्रीमती विधि डागलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद	श्री श्रीकृष्ण डागलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद	श्रीमती पूनम परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	सुश्री स्वाती सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्री चंद्रशेखर राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड

तहसील मुख्यालय मेहगॉव						
14	सुश्री स्वाती सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती प्रियंका कुशवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती पूनम परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	कु. अनुभूति गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
15	श्रीमती पूनम परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	सुश्री स्वाती सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्री अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	सुश्री अनुराधा गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड
16	श्रीमती प्रियंका कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	श्रीमती पूनम परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	सुश्री स्वाती सिंह बघेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मेहगांव	सुश्री अनुराधा गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री पियूष भावे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड	श्री विवेक माल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भिण्ड

(कमलेश भरकुंदिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भिण्ड (म.प्र.)